

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—67/2021 (2021/180) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कानसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छोटुसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जड़ावकंवर पत्नि भोपालसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. ठीमरकंवर पुत्री भोपालसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. महेन्द्रसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. श्रवणकंवर पुत्री भोपालसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरसिंह पिता उंकारसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुवा पिता हरू कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पिता उदा कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भैरूसिंह पिता कालुसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. चतुर्भुज पिता पीथा कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. काना पिता बालु गुर्जर निवासी डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. गोपी पिता हजारी गुर्जर निवासी डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन -

प्रार्थीगण अधिवक्ता

दिनांक 21.10.2021

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है ग्राम पीथलपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात खाता संख्या 18 में अकिंत आराजी संख्या 135 रकबा 0.74 है0, आराजी संख्या 29 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 30 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 32 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 48 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 525/88 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 83 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 87 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 90 रकबा 0.48 है0 कुल कित्ता 9 कुल रकबा 4.11 है0 भूमि अन्य आराजियात स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे हैं। प्रार्थीगण ने दिनांक

31.08.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 13.09.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 तक बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पीथलपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात खाता संख्या 18 में अकिंत आराजी संख्या 135 रकबा 0.74 है0, आराजी संख्या 29 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 30 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 32 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 48 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 525/88 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 83 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 87 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 90 रकबा 0.48 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.11 है0 भूमि अन्य आराजियात स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 1000/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
21/10/2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी

रायपुर जिला न्यायालय अधिकारी
रायपुर (पीथलवाडी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—67/2021 (2021/180) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कानसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छोटुसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जड़ावकंवर पत्नि भोपालसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. ठीमरकंवर पुत्री भोपालसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. महेन्द्रसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. श्रवणकंवर पुत्री भोपालसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरसिंह पिता उंकारसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुवा पिता हरू कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पिता उदा कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भैरूसिंह पिता कालुसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. चतुर्भुज पिता पीथा कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. काना पिता बालु गुर्जर निवासी डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. गोपी पिता हजारी गुर्जर निवासी डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 21.10.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम पीथलपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात खाता संख्या 18 में अकिंत आराजी संख्या 135 रकबा 0.74 है0, आराजी संख्या 29 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 30 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 32 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 48 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 525/88 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 83 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 87 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 90 रकबा 0.48 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.11 है0 भूमि अन्य आराजियात स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 1000/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1500/—रूपये सम्बधित भू- अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 21.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा